प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–20.05.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **20 वाहनों से मु0– 3400 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भादवि में 20 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 11 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

01 वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तो के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानो द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 19.05.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल– 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 50 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. ननके पुत्र भोंदू नि0 चमारून पुरवा मौजा गण्डाही थाना कटरा बाजार के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–116/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. जगदेश पुत्र मिश्रीलाल निवासी पेरीपोखर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–194/19, 02. झिनन पुत्र बैजनाथ निवासी पेरीपोखर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–195/19, धारा 60 आबाकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राजेन्द्र पुत्र रामफेर नि0 शेखपुर रूपीपुर थाना वजीरगंज थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–189/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल–09 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार,चोरी की बाइक व साईकिल बरामद–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. आकाश पुत्र अनन्तराज चौबे निवासी गिरधरपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01.मु0अ0सं0–121/19, धारा 379.411 भादवि थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल।
02. 01 अदद चोरी की साईकिल।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 16.05.2019 को पंजाब नेशनल बैंक की शाखा तरबगंज से वादी गौरीशंकर पुत्र गंगाराम निवासी रामापुर दीनपुरवा थाना तरबगंज की साईकिल अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना तरबगंज में अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें आज दिनांक 20.05.2019 को तरबगंज पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरधरपुर से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की बाइक व साईकिल बरामद कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार –

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्तों–01. राजेश वर्मा पुत्र नन्के उर्फ सत्यनारायण, 02. नन्के उर्फ सत्यनारायण पुत्र प्यारेलाल वर्मा निवासीगण बढईपुरवा मौजा रंजीतनगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–101/19, धारा 498ए, 302 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिनांक 16.05.2019 को उक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादी असर्फीलाल पुत्र जवाहिर लाल नि0 ग्राम जुगराजपुर मौजा कठाउवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा की बहन को दहेज की बात को लेकर पताड़ित करना व गला घोट कर मार देने के आरोप मे दिनांक 17.05.2019 को वादी द्वारा थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें उक्त आरोपी अभियुक्तगणों को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।